**उत्तर प्रदेश शासन**
**ग्राम्य विकास अनुभाग-9**
**संख्या-21/2017/ 308/अड़तीस-9-17-03(बजट)/16**
**लखनऊ : दिनांक- 09 मई, 2017**

**<u>कार्यालय-ज्ञाप/संशोधन</u>**

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सम्पर्क मार्गों के अनुरक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक अनुमान में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम 05 माह के लिये स्वीकृत लेखानुदान रू0 3593.31 लाख की धनराशि अनुदान संख्या-13 के लेखा शीर्षक ''3054-सड़क तथा सेतु-04-जिला तथा अन्य सड़कें-105-रख-रखाव तथा सड़कों का अनुरक्षण-29-अनुरक्षण'' के अन्तर्गत अवमुक्त किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-19/2017/पी-223/अड़तीस-9-2017-03(बजट)/2016, दिनांक-24.04.2017 में उल्लिखित विषय में स्वीकृत लेखानुदान रू0 3593.91 लाख के स्थान पर त्रुटिवश रू0 3193.91 लाख अंकित हो गया है।

**2-** अत: उक्त हुई त्रुटि को संशोधित करते हुये उक्त शासनादेश दिनांक-24 अप्रैल, 2017 में उल्लिखित विषय को निम्नवत् पढ़ा जाय:-

**"प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सम्पर्क मार्गों के अनुरक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक अनुमान में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम 05 माह के लिये स्वीकृत लेखानुदान रू0 3593.91 लाख की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में"**

**3-** शासनादेश संख्या-19/2017/पी-223/अड़तीस-9-2017-03(बजट)/2016, दिनांक-24.04.2017 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी तथा शासनादेश दिनांक-24 अप्रैल, 2017 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

**सुरेश कुमार पाण्डेय**
संयुक्त सचिव।

**<u>संख्या-21/ 2017/ 308 (1)/अड़तीस-9-2017, तद दिनांक।</u>**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

**1-** महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
**2-** प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
**3-** आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
**4-** मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
**5-** वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण, लखनऊ।
**6-** अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
**7-** मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
**8-** वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक)/अनुभाग-1
**9-** ग्राम्य विकास अनुभाग-3/ गार्डबुक।

**आज्ञा से,**

**सुरेश कुमार पाण्डेय**
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in